भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2611
उत्तर देने की तारीख सोमवार : 17 मार्च 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

हिन्दू मंदिर निधि का विनियमन और उपयोग

2611 श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हिंदू मंदिर राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थान स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के नियंत्रण वाले हिंदू मंदिरों से राज्य-वार और मंदिर-वार कुल कितना राजस्व एकत्र किया गया है;

(ग) क्या मंदिर निधि के किसी हिस्से को गैर-धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है और यदि हां तो ऐसे आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को मंदिर प्राधिकारियों या धार्मिक संगठनों से राज्य के नियंत्रण से स्वायत्तता की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन या अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या सरकार मंदिरों, मस्जिदों और गिरिजाघरों सहित सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए एक समान विनियम सुनिश्चित करने हेतु कोई सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख) : देश में मंदिरों सहित कुल 3698 प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन मंदिर सहित 143 टिकट वाले स्मारकों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि रूपए में)

वर्ष	राजस्व
2021-22	101, 50, 59,354
2022-23	251,93,76,252
2023-24	317, 92,20, 085

(ग) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों से अर्जित राजस्व धनराशि का कोई भी हिस्सा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग नहीं करता है।

(घ) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मंदिर प्राधिकारियों अथवा धार्मिक संगठनों की ओर से राज्य के नियंत्रण से स्वायत्तता की मांग करने का कोई अभ्यावेदन अथवा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****